UPSP100000982013

Presented on : 26-08-2013
Registered on : 26-08-2013
Decided on : 11-06-2026
Duration : 12 years, 9 months, 16 days

न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट-II देवबंद, सहारनपुर
पीठासीनः गौरव दीप सिंह (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)
दाण्डिक वाद संख्या-400514/2013

राज्य बनाम नारायण आदि।

मु0अ0सं0-185A/2013
धारा-323,324,504 भा.द.स.
थाना-नानौता, जिला सहारनपुर।

शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष	राज्य/सरकार (मूल सूचनाकर्ता - चतरसैन पुत्र पीरू
अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता	विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह, रणवीर पुत्र कलम सिंह, बलवीर पुत्र कलम सिंह व सन्टी पुत्र नारायण
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता	मौ० नसीम अंसारी

अभियुक्तगण का विवरण-

अभियुक्त क्रमांक	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी/ अभिरक्षा का दिनांक	जमानत का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध
1.	नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह	17.02.2014	17.02.2014	323,324,504 भा.द.स.	दोषमुक्त
2.	रणवीर पुत्र कलम सिंह	05.02.2014	05.02.2014	323,324,504 भा.द.स.	दोषमुक्त
3.	बलवीर पुत्र कलम सिंह	05.02.2014	05.02.2014	323,324,504 भा.द.स.	दोषमुक्त
4.	सन्टी पुत्र नारायण	05.02.2014	05.02.2014	323,324,504 भा.द.स.	दोषमुक्त

घटना का दिनांक	12.07.2013
प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	18.07.2013
आरोप–पत्र का दिनांक	30.07.2013
आरोप विरचित करने का दिनांक	11.03.2016
साक्ष्य प्रारम्भ करने का दिनांक	20.01.2026
बहस का दिनांक	16.05.2026
निर्णय का दिनांक	11.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की विस्तारपूर्वक बहस को सुना जा चुका है। पत्रावली वास्ते निर्णय आज नियत है।

निर्णय

1– प्रस्तुत आपराधिक वाद पुलिस थाना–नानौता, जनपद सहारनपुर द्वारा मु0 अ0 सं0 185A/2013 में अभियुक्तगण नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह, रणवीर पुत्र कलम सिंह, बलवीर पुत्र कलम सिंह व सन्टी पुत्र नारायण निवासीगण ग्राम पाण्डोखेडी थाना नानौता जिला सहारनपुर के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा–323, 324, 504 भा.द.स. के आधार पर संस्थित किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि–प्रार्थी ग्राम पाण्डोखेडी का रहने वाला है। दिनांक 12/7/13 को समय 6 बजे सुबह का वाका है। मेरा भाई चन्द्रसेन पुत्र पीरू, मेरा भतीजा मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन अपने खेत पर ट्रैक्टर से पानी चला रहे थे तभी वहां पर हमारे गांव के नारायण, रणवीर, बलवीर पुत्रगम कलम सिंह सन्टी पुत्र नारायण अपने हाथों में लाठी पलकटी तबल लेकर आए व इन्होंने मेरे भाई व भतीजे को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। मेरे भतीजे व भाई ने इन्हें गालियां देने से मना किया तो इन्होंने मेरे भाई व भतीजे को लाठी डंडों तबल पलकटी से मारना पीटना शुरू कर दिया। शोर पर गवाहान ब्रिह्म पुत्र मलखान, राजकुमार पुत्र तेल्लू आदि आ गये जिन्होंने भाई व भतीजे को बचाया। मेरे भाई व भतीजे को गंभीर चोटें आई हैं। जिन्हें मैं लेकर थाने आया था अधिक चोटें होने के कारण डाक्टरी मायने के लिए भेज दिये थे। सरकारी अस्पताल नानौता से सहारनपुर रैफर कर दिये थे जिनकी छुट्टी हो गई है। मैं अपने भाई व भतीजे की तीमारदारी में लगा रहा आज रपट को आया हूं। मेरी रपट लिखकर उचित कार्यवाही की जावे।

3– वादी मुकदमा चतरसैन पुत्र पीरू की तहरीर के आधार पर थाना नानौता में मु0 अ0 सं0 185A/2013 अंतर्गत धारा 323, 324, 504 भा.द.स. के अंतर्गत नारायण पुत्र कलम सिंह, रणवीर पुत्र कलम सिंह, बलवीर पुत्र कलम सिंह व सन्टी पुत्र नारायण के विरूद्ध पंजीकृत किया तथा मामले की विवेचना जारी रखी गयी।

4– विवेचक द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा व अन्य स्वतंत्र साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। मौके पर मुआईना कर नक्शा–नजरी बनाया गया तथा विवेचनोपरांत संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह, रणवीर पुत्र कलम सिंह, बलवीर पुत्र कलम सिंह व सन्टी पुत्र नारायण के विरूद्ध अंतर्गत धारा–323, 324, 504 भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय द्वारा इस पर प्रसंज्ञान लिया गया।

5– अभियुक्तगण नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह, रणवीर पुत्र कलम सिंह, बलवीर पुत्र कलम सिंह व सन्टी पुत्र नारायण को विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्तगण नारायण, रणवीर, बलवीर व सन्टी न्यायालय में उपस्थित आये। न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.2016 को आरोप अ० धारा 323,324,504 भा.द.सं. में विरचित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया।

6– अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–01 के रूप में वादी मुकदमा चतरसैन पुत्र पीरू, पी०डबलू०–02 के रूप में गोल्डी उर्फ हिमांशु पुत्र चतरसैन, पी०डबलू०–03 के रूप में चन्द्रसैन पुत्र पीरूराम, पी०डबलू०–04 के रूप में मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन तथा पी०डबलू०–05 के रूप में बिरम पुत्र मलखान को परीक्षित कराया गया है।

7– साक्षी पी०डबलू०–1 चतरसैन पुत्र पीरू द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि–घटना दिनांक 12–07–2013 को सुबह के करीब 6.00 बजे की है। मेरा भाई चन्द्रसैन और मेरा भतीजा मोन्टी अपने खेत पर ट्रैक्टर से पानी चला रहे थे तभी वहाँ पर हमारे गांव के नारायण, रणबीर, बलबीर, सन्टी अपने हाथों में लाठी व पलकटी लेकर आये। लाठी पलकटी तबल लेकर आए इन्होंने मेरे भाई चन्द्रसैन व मोन्टी के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डन्डों व तबल से मारपीट की। शोर शराबा सुनकर मौके पर ब्रिह्म पुत्र मलखान, राजकुमार पुत्र तेल्लू आदि लोग आ गए, जिन्होंने बीच बचाव कराया। मारपीट में मेरे भाई व भतीजे को काफी चोटें आयी थी जिसकी डाक्टरी करायी थी। घटना की तहरीर मैंने किसी से लिखवाकर अपने हस्ताक्षर करके दी थी जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

7.1– उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–यह कहना सही है कि घटना के समय मैं अपने घर पर था। घर से खेत की दूरी लगभग 2 किमी. है, जहाँ पर घटना हुई थी। मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। मेरे सामने नारायण, रणबीर, बलबीर और सन्टी ने चन्द्रसैन और गोल्डी उर्फ मोन्टी के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डन्डों व तबल से कोई मारपीट नहीं की थी। घटना की तहरीर मुझे पढकर नहीं सुनायी गयी थी। तहरीर के ऊपर दस्तखत मैंने गांव वालों के कहने पर किये थे।

7.2– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को उसका 161 CRPC का बयान पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। परन्तु यह कहना गलत है कि मुल्जिमान को बचाने के लिए आज अदालत में सही बात न बता रहा हूँ।

8– साक्षी पी०डबलू०–2 गोल्डी उर्फ हिमांशु पुत्र चतरसैन द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि–घटना की दिनांक व समय मुझे आज याद नहीं है। मुल्जिमान नारायण, रणवीर, बलबीर व सन्टी मेरे परिवार के हैं। इनसे किसी बात को लेकर मेरे पिताजी चतरसैन से कहा सुनी हो गयी थी। मौके पर काफी भीड इकट्ठा हो गयी थी। बीच बचाव के दौरान खेत पर हैरो, टीलर व ईंटों पर अचानक गिर जाने से मेरे हाथ व अन्य जगह पर शरीर पर चोटें आ गयी थी जिसकी डाक्टरी करायी थी। यह भी कहना सही है कि उपरोक्त मुल्जिमानों ने मेरे साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डन्डों व पलकटी से कोई चोट नहीं पहुँचायी थी। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। जिरह की अनुमति दी जाती है।

8.1– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को उसका 161 CRPC का बयान पढकर सुनाया गया तो गवाह ने कहा मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। परन्तु यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान को बचाने के लिए आज मैं न्यायालय में सही बात न बता रहा हूँ।

9– साक्षी पी०डबलू०–3 चन्द्रसैन पुत्र पीरूराम द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि– घटना की दिनांक आज मुझे याद नहीं है। घटना आज से करीबन 12–13 साल पुरानी होगी। इस मुकदमे का वादी चतरसैन मेरा छोटा भाई है। चतरसैन की मेरे परिवार के नारायण रणबीर, बलबीर और सन्टी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी। शोर शराबा सुनकर मैं भी मौके पर आ गया था। बीच बचाव के दौरान किसी नुकीली चीज के लगने से मेरे सिर में चोट आ गयी थी, मेरे बायें हाथ में चोट आ गयी थी तथा शरीर में गुम चोटें आ गयी थी जिसकी डाक्टरी मैंने सरकारी अस्पताल नानौता में करायी थी। ये भी कहना सही है कि उपरोक्त मुल्जिमानों ने मेरे साथ लाठी डंडों, पलकटी व तबल से कोई मारपीट नहीं की थी। काँच के टुकडों पर गिरने से चोटें आ गयी थी। यह भी कहना सही है कि उपरोक्त मुल्जिमानों ने मेरे साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट नहीं की थी। अब हमारे बीच आपस में सुलह हो गयी है। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। जिरह की अनुमति दी जाती है।

9.1– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को उसका 161 CRPC का बयान पढकर सुनाया तो गवाह ने कहा मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। परन्तु ये कहना गलत है कि किसी दबाव में आ जाने या राजीनामा हो जाने के कारण आज अदालत में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

10– साक्षी पी०डबलू०–4 मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि–घटना काफी पुरानी है, 12–13 साल पहले की है। इस मुकदमे के वादी चतरसैन मेरे चाचा लगते हैं। हमारे परिवार के नारायण सिंह, रणबीर, बलबीर व सन्टी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी। शोर सुनकर मैं भी मौके पर पहुंच गया था। बीच बचाव के दौरान मुझे भी हल्की फुल्की चोट आयी थी जिसकी डाक्टरी मैंने अस्पताल में करायी थी। यह भी कहना सही है कि उपरोक्त मुल्जिमानों ने मेरे साथ लाठी डंडों, पलकटी व तबल से कोई मारपीट की थी और ना ही मेरे साथ कोई गाली गलौच की थी। अब हमारे दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हो गयी थी परन्तु अब हमारे बीच में सुलह हो चुकी है। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। जिरह की अनुमति दी जाती है।

10.1– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को उसका 161 CRPC का बयान पढकर सुनाया तो गवाह ने कहा मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। परन्तु ये कहना गलत है कि मैं किसी दबाव में आने के कारण या राजीनामा के कारण आज अदालत में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

11– साक्षी पी०डबलू०–5 बिरम पुत्र मलखान द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि–घटना की दिनांक व समय मुझे आज याद नहीं है। इस मुकदमे का वादी चतरसैन मेरा चचेरा भाई है, इसकी हमारे परिवार के ही नारायण, रणवीर, बलबीर व शान्ति के साथ आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी। घटना के समय मैं मौके पर मौजूद नहीं था। मेरे सामने इन दोनों के बीच में कोई झगडा नहीं हुआ था। घटना की जानकारी मुझे बाद

में गांव वालों से मिली थी। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। जिरह की अनुमति दी जाती है।

11.1– उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने कथन किया कि–गवाह को उसका 161 CRPC का बयान पढकर सुनाया तो गवाह ने कहा मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। परन्तु यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान को बचाने के लिए आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

12– वादी द्वारा अन्य गवाहों को डिरस्चार्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा सबमिट किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया तथा पत्रावली वास्ते बयान अ०धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 नियत की गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया तथा अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक 15.05.2026 को अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक गलत तथा स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया गया है।

13– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को सविस्तार सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

14– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा विस्तार पूर्वक बहस करते हुए अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने का कथन किया गया।

15– जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तार पूर्वक बहस करते हुए उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध न करने तथा अभियोजन द्वारा अन्य किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को परीक्षित न कराने के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गए आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित न होने के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने का कथन किया गया।

16– अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि दिनांक 12.07.2013 समय करीब 6 बजे सुबह स्थान जंगल ग्राम पाण्डोखेडी में अभियुक्तगण ने चन्द्रसेन व मोन्टी के साथ लाठी डण्डों व धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छयापूर्वक साधारण उपहति कारित की एवं उन्हें लोक शांति भंग करने के प्रकोपित आशय से गाली–गलौच कर अपमानित किया, जिसे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

17– प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्य के साक्षी पी०डब्लू०–01 चतरसैन पुत्र पीरू (वादी मुकदमा), पी०डबलू०–02 के रूप में गोल्डी उर्फ हिमांशु पुत्र चतरसैन (चक्षुदर्शी साक्षी), पी०डबलू०–03 के रूप में चन्द्रसैन पुत्र पीरूराम (मजरूब साक्षी), पी०डबलू०–04 के रूप में मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन (मजरूब साक्षी) तथा पी०डबलू०–05 के रूप में बिरम पुत्र मलखान (चक्षुदर्शी साक्षी) को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी के अलावा अन्य किसी साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2026 को अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

18– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू०–01 जो कि वादी मुकदमा है, उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु बचाव पक्ष की जिरह में उक्त साक्षी ने स्पष्ट कथन किया है कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था तथा उसके सामने नारायण, रणबीर, बलबीर और सन्टी ने चन्द्रसैन और गोल्डी उर्फ मोन्टी के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डन्डों व तबल से कोई मारपीट नहीं की थी। घटना की तहरीर उसे पढकर नहीं सुनायी गयी थी। तहरीर के ऊपर दस्तखत गांव वालों के कहने पर किये थे। उक्त साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर उक्त साक्षी ने बयान 161 CRPC से भी इन्कार किया गया है। साक्षी पी०डबलू०–2 जो कि उक्त घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है, पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मौके पर काफी भीड इकट्ठा हो गयी थी। बीच बचाव के दौरान खेत पर हैरो, टीलर व ईंटों पर अचानक गिर जाने से उसके हाथ व अन्य जगह पर शरीर पर चोटें आ गयी थी तथा यह भी कथन किया है कि उपरोक्त मुल्जिमानों ने उसके साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डन्डों व पलकटी से कोई चोट नहीं पहुँचायी थी। साक्षी पी०डबलू०–03 जो कि उक्त घटना का मजरूब साक्षी है, पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि बीच बचाव के दौरान किसी नुकीली चीज के लगने से उसके सिर में चोट आ गयी थी, उसके बायें हाथ में चोट आ गयी थी तथा शरीर में गुम चोटें आ गयी थी जिसकी डाक्टरी सरकारी अस्पताल नानौता में करायी थी। यह भी कथन किया है कि उपरोक्त मुल्जिमानों ने उसके साथ गाली गलौच नहीं की थी तथा लाठी डंडों, पलकटी व तबल से कोई मारपीट नहीं की थी। काँच के टुकडों पर गिरने से चोटें आ गयी थी। साक्षी पी०डबलू०–04 जो कि उक्त घटना का मजरूब साक्षी है,पक्षद्रोही घोषित हुआ है। उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि बीच बचाव के दौरान उसे भी हल्की फुल्की चोट आयी थी जिसकी डाक्टरी अस्पताल में करायी थी। यह भी कथन किया है कि उपरोक्त मुल्जिमानों ने उसके साथ लाठी डंडों, पलकटी व तबल से कोई मारपीट की थी और ना ही कोई गाली गलौच की थी। साक्षी पी०डबलू०–05 जो कि चक्षुदर्शी साक्षी है वह भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। उसके सामने इन दोनों के बीच में कोई झगडा नहीं हुआ था। घटना की जानकारी उसे बाद में गांव वालों से मिली थी।

19– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षीगण के बयानों के अवलोकन से अभियोजन कथानक एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है और घटना की संबद्धता अभियुक्तगण से स्थापित नहीं हो पा रही है। साक्षी पी०डब्लू०–01 जो कि वादी मुकदमा है उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था तथा उसके सामने नारायण, रणबीर, बलबीर और सन्टी ने चन्द्रसैन और गोल्डी उर्फ मोन्टी के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी डन्डों व तबल से कोई मारपीट नहीं की थी। अन्य सभी साक्षीगण पी०डब्लू०–02,03 व 04 जो कि घटना के मजरूब व चक्षुदर्शी साक्षीगण हैं, पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा उनके द्वारा उक्त मुल्जिमान द्वारा उक्त घटना कारित करने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया गया है तथा अपनी चोटों का कारण आपसी धक्का–मुक्की, बीच–बचाव अथवा किसी नुकीली चीज पर गिरने से बताया गया है। स्वतंत्र साक्षी पी०डब्लू०–05 ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा घटना के समय स्वयं को मौके पर अनुपस्थित बताया है। यद्यपि उपरोक्त साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर उनसे प्रतिपरीक्षा की गयी, तथापि उनकी प्रतिपरीक्षा से भी अभियोजन के पक्ष में ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती हो अथवा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों का समर्थन होता हो। तथ्य के अन्य किसी ऐसे साक्षी या किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को

अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है, जो घटना की संबद्धता अभियुक्तगण से स्थापित कर सके। जहाँ तक पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का प्रश्न है, अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को स्वीकार किया गया है तथा अभियोजन प्रपत्रों में प्रदर्शित तथ्य के साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। जिस कारण अभियोजन प्रपत्रों को साक्ष्यिक महत्व शून्य हो जाता है।

20— उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों के अवलोकन व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्तगण नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह, रणवीर पुत्र कलम सिंह, बलवीर पुत्र कलम सिंह व सन्टी पुत्र नारायण के विरूद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा— 323, 324, 504 भा.द.स. को अभियोजन युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाता है। साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायहित में उचित नहीं है। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह, रणवीर पुत्र कलम सिंह, बलवीर पुत्र कलम सिंह व सन्टी पुत्र नारायण को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

1. मु0अ0सं0 185A/2013, थाना— नानौता, जिला सहारनपुर के प्रकरण में अभियुक्तगण नारायण सिंह पुत्र कलम सिंह, रणवीर पुत्र कलम सिंह, बलवीर पुत्र कलम सिंह व सन्टी पुत्र नारायण निवासीगण ग्राम पाण्डोखेडी थाना नानौता जिला सहारनपुर को अंतर्गत धारा 323, 324, 504 भा.द.स. से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं। जामिनान को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक धारा 437ए द0प्र0सं0 के तहत अंकन 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक—एक नया जमानती दाखिल करे।

3. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः11.06.2026

(गौरव दीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट— II
देवबंद, सहारनपुर
UP3741

उपरोक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः11.06.2026

(गौरव दीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट—II
देवबंद, सहारनपुर
UP3741

<u>परिशिष्ट</u>-

सूची अभियोजन साक्षीगण

अभियोजन साक्षीगण संख्या	साक्षीगण का नाम	विवरण
PW-1	चतरसैन पुत्र पीरू	शिकायतकर्ता
PW-2	गोल्डी उर्फ हिमांशु पुत्र चतरसैन	चक्षुदर्शी साक्षी
PW-3	चन्द्रसैन पुत्र पीरूराम	मजरूब साक्षी
PW-4	मोन्टी पुत्र चन्द्रसैन	मजरूब साक्षी
PW-5	बिरम पुत्र मलखान	चक्षुदर्शी साक्षी

सूची अभियोजन प्रदर्श-

क्र०सं०	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श क-**1**	तहरीर
2.	प्रदर्श क-**2**	एक्स-रे रिपोर्ट गोल्डी
3.	प्रदर्श क-**3**	एक्स-रे रिपोर्ट चन्द्रसैन
4.	प्रदर्श क-**4**	मेडिकल गोल्डी
5.	प्रदर्श क-**5**	मेडिकल चन्द्रसैन
6.	प्रदर्श क-**6**	आमद वादी दाखला तहरीर व कायमी मुकदमा
7.	प्रदर्श क-**7**	प्रथम-सूचना रिपोर्ट
8.	प्रदर्श क-**8**	आरोप-पत्र